Success Story of National Lok Adalat Held on 08.07.2017

1. **Chandra Shakhar V/s Hari Shankar Sharma & Ors, 199/2017** –

यह प्रकरण अलवर जिले के पारिवारिक न्यायालय के समक्ष अंतर्गत धारा 10 एवं 25, संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम और हिन्दू अप्राप्तवय एवं संरक्षता अधिनियम, 1956 के तहत लम्बित था और राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष राजीनामे हेतु पेश हुआ।

इस प्रकरण में प्रार्थी की पत्नी की मृत्यु दिनांक 27.02.2014 को दुर्घटनावश आग से जल जाने के कारण हो गई और उसके पश्चात उसके दोनों पुत्रों को उसके नाना–नानी और मामा–मामी आपने साथ ले गए और काफी प्रयास के बाद भी जब प्रार्थी को अपने पुत्रों से मिलने नहीं दिया गया तब उसके द्वारा न्यायालय के समक्ष मुकदमा दायर किया।

लोक अदालत बैंच के द्वारा पक्षकारों को एक साथ बैठाकर राजीनामे का प्रयास किया, जिस पर दोनों बच्चों की अभिरक्षा उसके पिता को सुपुर्द करने के लिए दोनों पक्षकार राजी हो गए और इस प्रकार तीन वर्ष पुराने पारिवारिक प्रकरण का राजीनामे से निस्तारण हो गया।

2. **All Muslim luharaan V/S Yadav Vati Goshala, 117/06 & 114/08-**

यह प्रकरण करौली जिले के अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश न्यायालय में वर्ष 2006 से लम्बित था। इस प्रकरण में दो समुदाय मुसलमान लुहारान एवं यादव वाटी के मध्य कब्रिस्तान एवं गौशाला के बीच आम रास्ते, दरवाजे के निकास एवं परनालों को लेकर विवाद चला आ रहा था, जिसको लेकर समय–समय पर सामप्रदायिक माहौल भी खराब हो रहा था और पक्षकारों के बीच दाण्डिक एवं सिविल मुकदमे लम्बित थे और यह प्रकरण राजीनामे हेतु लोक अदालत की बैंच के समक्ष रखा गया।

आपसी समझाईश के पश्चात दोनों पक्षकार राजीनामे हेतु सहमत हुए और इस प्रकार एक काफी पुराने प्रकरण, जिससे हमेशा साम्प्रदायिक माहौल खराब होने की संभावना बनी रहती थी, उसका निस्तारण आपसी बातचीत से हो गया।

3. **Fundi Lal V/S Management, Shree Ram Rayens, Kota 273/1990-**

यह प्रकरण कोटा औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय, कोटा में वर्ष 1990 से लम्बित था। इस प्रकरण में वर्ष 1965 में प्रार्थी को अप्रार्थी संस्थान में बंधानी के पद पर नियोजित किया गया था और बाद में बोनस की मांग के कारण प्रबंधन के द्वारा तालाबंदी की घोषणा कर दी गई। वर्ष 1987 में तालाबंदी की समाप्ती के उपरान्त श्रमिकों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज हुए और तदोपरान्त वर्ष 1987 में प्रार्थी को उसकी सेवा से पृथक कर दिया गया। जिस पर प्रार्थी के द्वारा न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया गया तथा राजीनामा हेतु प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा गया।

लोक अदालत बैंच के द्वारा पक्षकारों को एक साथ बैठाकर राजीनामे का प्रयास किया, जिस पर दोनों पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया। राजीनामे के तहत प्रार्थी के द्वारा एक लाख रूपए की राशि के बतौर क्षतिपूर्ति प्राप्त कर अपने पुनः सेवा में नियोजन के अधिकार को परित्याग कर दिया गया। इस प्रकार करीब 27 वर्ष पुराने श्रमिक प्रकरण का राजीनामे के माध्यम से निस्तारण हो गया।

****